23

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1006-एक/2005 - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-5-2005 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 162/2000-01 अपील

राजेन्द्र सिंह पुत्र रामदास काछी
ग्राम रजौदा तहसील पोरसा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1-राममिलन 2- मोतीराम 3- ग्यादीन
तीनों पुत्रगण राम सिंह
4-देवीराम पुत्र घासीराम कुशवाह
ग्राम रजौदा तहसील पोरसा, मुरैना ---असल अनावेदकगण
5- भोगीराम पुत्र घासीराम कुशवाह
6- गुटई पुत्र सीताराम कुशवाह
ग्राम रजौदा तहसील पोरसा, मुरैना ---तरतीवीं अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री वाई.एस.भदौरिया)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित- एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 162/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-5-2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच सामिलाती आराजी के

बटवारे हेतु तहसीलदार पोरसा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 50/98-99 अ-27 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 24-1-2000 पारित करके बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने प्रकरण कमांक 55/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 31-1-2001 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 162/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-5-2005 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम रजौदा की भूमि सर्वे कमांक 4188 रकबा 0.209 हैक्टर के दोनों पक्ष सह भूमिस्वामी थे जिसके बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया गया। एकपक्षीय तैयार की गई फर्द पर आपत्ति लगाई गई थी किन्तु आपत्ति को अनदेखा करके बटवारा किया गया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने प्रकरण कमांक 55/1999-2000 में आदेश दिनांक 31-1-2001 पारित करते समय तथा गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 162/2000-01 अपील में आदेश दिनांक 26-5-2005 पारित करते समय इस पर विचार नहीं किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर भूमि बटवारे की पूर्व की स्थिति में लाये जाने की प्रार्थना की।

अनावेदक क-1 के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने पटवारी मौजा से फर्द मॅगाई गई थी। हलका पटवारी ने मौके पर कब्जे के मान से फर्द तैयार की है एंव पंचनामा भी बनाया है । फर्दो का प्रकाशन करके आपत्तियां भी मांगी है एंव तहसीलदार ने आपत्ति पर पक्षकारों को सुना है तब अंतिम आदेश पारित किया है इन्हीं कारणों से अपीलीय न्यायालयों ने तहसीलदार की कार्यवाही को विधिवत् मानकर अपील निरस्त की है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि अनावेदकगण की ओर से बटवारा आवेदन आने पर तहसीलदार पोरसा ने बटवारे का प्रकरण कमांक 50/98-99 अ-27 पॅजीबद्व किया है तथा पटवारी मौजा से फर्द मॅगाई गई है। हलका पटवारी ने मौके पर फर्द तैयार की है एंव पंचनामा भी बनाया है । फर्दो का प्रकाशन करके आपत्तियां भी मांगी गई है जिस पर आवेदक ने आपत्ति लगाई है। तहसीलदार ने आपत्ति पर पक्षकारों को सुना है तब अंतिम आदेश पारित किया है यदि तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी थी, आवेदक का दायित्व था कि तहसीलदार के आपत्ति निरस्त करने हेतु पारित अंतरिम आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करता, किन्तु समय रहते उसके द्वारा निगरानी नहीं की गई है। वैसे भी तहसीलदार ने आवेदक के हिस्से के पात्रतानुसार 5 विसवा भूमि बटवारे में दी है , जिसके कारण तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रकरण कमांक 50/98-99 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 24-1-2000 को सही पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तहसीलदार पोरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-1-2000 में एंव अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-1-2001 में तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-5-2005 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 162/2000-01 अपील में आदेश दिनांक 26-5-2005 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर